

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

कार्यालय-आदेश

राजस्थान शिक्षा सेवा नियम 1970 के नियम 24 (2)(ए) के प्रावधानान्तर्गत गठित विभागीय पदोन्नति समिति की प्रधानाचार्य उमावि व समकक्ष पद की वर्ष 2009-10 से 2019-20 तक की पूर्व सम्पन्न बैठकों की पुनर्विलोकन बैठक दिनांक 16.06.2021 में की गई अनुशंसानुसार निम्नलिखित अभ्यर्थी को संबंधित चयन वर्ष की रिक्ति के विरुद्ध वरिष्ठता सहयोग्यता के आधार पर प्रधानाचार्य उमावि एवं समकक्ष पद (ग्रुप-डी-1A) पर निम्नानुसार चयनित किया जाता है:-

क्र.सं.	वरिष्ठता कमांक	वर्ष	नाम आशार्थी	जन्म तिथि	वर्ग	लिंग	निम्न पद	शिड0	चयन वर्ष	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	85	A	2003-04	Maya Bajad	01-01-1972	SC	F	HM	II	2009-10

यदि उक्त वर्णित अधिकारी द्वारा क्र.सं. 09 में वर्णित निम्न पद से भिन्न अन्य पद से प्रधानाचार्य उमावि एवं समकक्ष पद पर चयन का परिलाभ प्राप्त किया गया है तो वह उक्त चयन के परिणामस्वरूप उक्तानुसार नवीन चयन वर्ष के अनुरूप पुनर्निर्धारण योग्य होगा।

(सौरभ स्वामी)

आई.ए.एस.
निदेशक

माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

कमांक:शिविरा-माध्य / संस्था / बी-1A / प्रधानाचार्य / डीपीसी / रिव्यू 2009-10 से 2019-20 / दिनांक: 24/06/2021
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर।
2. शासन उप सचिव (क-2) विभाग राजस्थान, जयपुर।
3. संयुक्त शासन सचिव शिक्षा (ग्रुप-2) विभाग राजस्थान जयपुर।
4. निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर।
5. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा को प्रेषित कर लेख है कि चयन निरस्त / नवीन चयन के आक्षेप पर संशोधित वेतन निर्धारण की कार्यवाही की जावे।
6. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा
7. सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग कार्यालय हाजा को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करावे।
8. अनुभाग अधिकारी वरिष्ठता अनुभाग एवं प्रभाग बी-1 एवं बी-2 संस्थापन एबी को प्रेषित कर लेख है कि उक्तानुसार आगामी करने का श्रम करावे।
9. रक्षित पत्रावली

संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

कार्यालय-आदेश

राजस्थान शिक्षा सेवा नियम 1970 के नियम 24 (2)(ए) के प्रावधानान्तर्गत गठित विभागीय पदोन्नति समिति की प्रधानाचार्य उमावि व समकक्ष पद की वर्ष 2009-10 से 2019-20 तक की पूर्व सम्पन्न बैठकों की पुनर्विलोकन बैठक दिनांक 16.06.2021 में की गई अनुशंसानुसार निम्नलिखित अभ्यर्थियों का संबंधित चयन वर्ष की रिक्ति के विरुद्ध वरिष्ठता सहयोग्यता के आधार पर प्रधानाचार्य उमावि एवं समकक्ष पद (ग्रुप-डी-1A) पर निम्नानुसार चयन/चयन वर्ष/शिड्यूल परिवर्तित किया जाता है:-

क्र.सं.	वरिष्ठता कमांक	वर्ष	नाम आशार्थी	जन्म तिथि	वर्ग	लिंग	शिड्यूल	पूर्व चयन शिड्यूल/वर्ष	नवीन चयन शिड्यूल/वर्ष	
1.	127	0	2008-09	Kanhya Lal Sharma	01-07-1959	GEN	M	LEC	I/III 2018-19	I/III 2017-18
2.	674	0	2010-11	Kamal Kant Sharma	02-02-1986	GEN	M	LEC	I/III 2019-20	I/III 2018-19
3.	149	0	2011-12	Ashok Purohit	25-02-1963	GEN	M	LEC	-	I/III 2019-20
4.	1491	0	2013-14	Hemant Chandoliya	26-02-1983	SC	F	HM	(II) 2017-18	(I/III) 2017-18
5.	1721	0	2013-14	Rekha Kumari Garg	03-01-1976	SC	F	HM	(I/III) 2017-18	(I/III) 2018-19
6.	1968	0	2013-14	Sheela Devi Mahamana	10-01-1962	sc	F	HM	(I/III) 2018-19	(I/III) 2019-20

प्रधानाचार्य उमावि एवं समकक्ष पद पर पूर्व प्राप्त चयन परिलाभ उक्त चयन के परिणामस्वरूप पुनर्निर्धारण योग्य होगा।

(सौरभ स्वामी)
आई.ए.एस.
निदेशक

माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

कमांक:शिविरा-माध्य/संस्था/बी-1A/प्रधानाचार्य/डीपीसी/रिव्यू 2009-10 से 2019-20/ दिनांक: 24/06/2021
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1- सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर।
- 2- शासन उप सचिव (क-2) विभाग राजस्थान, जयपुर।
- 3- संयुक्त शासन सचिव शिक्षा (ग्रुप-2) विभाग राजस्थान जयपुर।
- 4- निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर।
- 5- संबंधित संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा को प्रेषित कर लेख है कि चयन निरस्त/नवीन चयन/वर्ष परिवर्तन के आधार पर संशोधित वेतन निर्धारण की कार्यवाही की जावे।
- 6- संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा
- 7- सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग कार्यालय हाजा को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करावे।
- 8- अनुभाग अधिकारी वरिष्ठता अनुभाग/संस्थापन एबी(प्रभाग बी-1/2) को आगामी कार्यवाही हेतु प्रेषित है
- 9- रक्षित पत्रावली

संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

कार्यालय-आदेश

राजस्थान शिक्षा सेवा नियम 1970 के नियम 24 (2)(ए) के प्रावधानान्तर्गत गठित विभागीय पदोन्नति समिति की प्रधानाचार्य उमावि व समकक्ष पद की वर्ष 2009-10 से 2019-20 तक की पूर्व सम्पन्न बैठकों की पुनर्विलोकन बैठक दिनांक 16.06.2021 में की गई अनुशंसानुसार निम्नलिखित अधिकारियों का संबंधित चयन वर्ष की रिक्ति के विरुद्ध वरिष्ठता सहयोग्यता के आधार पर प्रधानाचार्य उमावि एवं समकक्ष पद (ग्रुप-डी-II) पर किया गया पूर्व चयन निरस्त किया जाता है:-

कस	वरिष्ठता कमांक		वर्ष	नाम आशार्थी	जन्म तिथि	वर्ग	लिंग	निम्न पद	शिखर	निरस्त चयन वर्ष	चयन निरस्त
1	330	0	2007-08	Maya Bajad	01-01-1972	SC	F	LEC	I/III GEN	2017-18	प्र.अ.मा.सीधी भर्ती के आधार पर 2003-04 में माननीय न्याय के आदेश से नामांकन किया जाने से नवीन वरि के अनुरोध प्रधानाचार्य हेतु वर्ष 09-10 में प्रस्तावित किया जाने का कारण
2	440	0	2014-15	Vachana Ram	16-06-1969	SC	M	HM	I/III	2019-20	पीजी योग्यता का नहीं प्रमाण।

(सौरभ स्वामी)
आई.ए.एस.
निदेशक
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

कमांक:शिविरा/माध्य/संस्था/बी-III/प्रधानाचार्य/डीपीसी/रिव्यू 2009-10 से 2019-20/ दिनांक: 24/06/2021
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर।
2. शासन उप सचिव (क-2) विभाग राजस्थान, जयपुर।
3. संयुक्त शासन सचिव शिक्षा (ग्रुप-2) विभाग राजस्थान जयपुर।
4. निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर।
5. संबंधित संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा को प्रेषित कर लेख है कि चयन निरस्त/नवीन चयन के आधार पर संशोधित वेतन निर्धारण की कार्यवाही की जावे।
6. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक शिक्षा
7. सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग कार्यालय हाजा को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करावें।
8. अनुभाग अधिकारी वरिष्ठता अनुभाग एवं प्रभाग बी-1 एवं बी-2 संस्थापन एबी को प्रेषित कर लेख है कि उक्तानुसार आगामी करने का श्रम करावें।
9. रक्षित पत्रावली

संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर